

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनू

क्रमांक:-एफ()/उवसं./2021-22/14355

दिनांक:- 16-12-2021

Deputy G.M.

Powergrid Khetri Transmission System Ltd

Rewari

विषय: — Diversion of 2.2401 ha. of forest land in favour of Powergrid Khetri Transmission System Limited for "construction of 765 K.V D/C Khetri-Jhatikara Transmission Line Under Transmission system associated with LTA application for Rajasthan Solar Energy Zone Part-C" Total line length: 28.513 K.M. (Proposal no. FP/RJ/TRANS/45462/2020)

संदर्भ: — कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर का परिपत्र 583 दिनांक 01.03.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 9749 दिनांक 05.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 की पालना में आप द्वारा 144100 प्रति हैक्टर की दर से कुल सी.ए.की राशि 645597/कैम्पा फण्ड में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण जमा करवायी है। पहले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में 700 पौधे प्रति हैक्टर के प्रावधान थे, परन्तु वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 583 दिनांक 01.03.2021 द्वारा 1000 पौधे प्रति हैक्टर लगाने एवं मौका स्थिति अनुसार कार्य कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में 1000 पौधे प्रति हैक्टर से साईड स्पेसिफिक वर्तमान CA दरों रूपयें 160400/- कुल क्षेत्र 4.4802 हैक्टर के लिए राशि रूपयें 1500000/ बनती है, आप द्वारा पूर्व में राशि रूपयें 645597/- ई-चालान से जमा करायी गयी है। अतः आप अन्तर राशि रूपयें 854403/ ई-चालान से जमा करावें एवं इसके पश्चात पालना रिपोर्ट पेश करें ताकि उच्च कार्यालय को पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा सके। डाईवर्जन प्रस्ताव CA के संबंध में आप द्वारा अप्पडरेटिंग भी दी गयी थी, कि जब भी CA दरों में वृद्धि होती है तो अन्तर राशी जमा कराई जावेगी। अतः आप पेड़ों की कटाई के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 9749 दिनांक 05.08.2021 द्वारा जारी स्वीकृति एवं प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना प्रेषित करें, ताकि उच्च कार्यालय को पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रेषित कि जा सके।

संलग्न:-प्राक्कलन व परिपत्र की प्रति।

भवदीय
(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुंझुनू
दिनांक:-

क्रमांक :-एफ()सर्वे/उवसं/2018/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

- 1 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।

उप वन संरक्षक
झुंझुनू

COST ESTIMATE FOR COMPENSATORY AFFORESTATION

ON DEGRADED FOREST LAND of AREA:4.4802Hac

Area Under Rediversion :

0 YEAR (ADVANCE ACTION)

S.No.	ITEM OF WORK	Qty	Rate	Amount
1	Collection of Basic Datas for Microplanning and carrying out joint forest management activities.	4.4802	203.5	911.7207
2	Survey of area, layout of contour trenches, burrow pits and making of segments / plots	4.4802	125.97	564.370794
3	b.) Ditch fencing 1.20m deep, 1.50m wide at top & 0.90m at bottom (on an average 30m/ha.) hard soil mixed with bauld 10-30% 700x1.44	1008.00	169.12	170473
4	Cost of raising 4929 seedlings	4929	8.19	40368.51
5	Digging up 1345 rmt Staggered Contour Trenches 45x45cm cross section on middle slopes and V-ditch as per site requirement=1345 Rmt	272.37	169.12	46063
6	Digging of 1345 pits size: 0.45x(0.4+0.5/2)2 cum	1345	15.44	20766.8
7	Cost of collection and purchase of grass and other seeds of trees and shrubs	1	2000	2000
8	Treatment of Nallas by constructing series of Checkdams of Earthen Checkdams	100	100.21	10021
9	Construction of Thatched cattle guard hut			20000
10	Purchase of Tools and Plants			500
	Cons. Of Pillar and signboard			5000
11	Misc. and unforeseen expenses including POL for vehicles			2000
	TOTAL YEAR 0			318669
12	Administrative charges 10%			31867
				350535
YEAR I (PLANTING YEAR)				
1	Collection of datas regarding impact assesment and strengthening Joint Forest Management.			325
2	Maintenance of seedling in nursery	4929	2.11	10400
3	Digging of 700 pits of size 0.45 (4+5/2)*2 Cum	3136	15.44	48420
4	In situ soil and moisture conservation measures like check dam, nadies, earthen bunds etc.	100	78.3	7830
5	Seed Sowing/dibbling of seeds of grass /thorny trees species on the mounds of contour trench X2 times and ditch fencing X3 times etc. (370 m / ha.)=5276x2 700x3+1345x2=2100+2690	5790	0.71	4110.9
6	Use of insecticide and Fertilizers.	4481	1.08	4839.48
7	Sowing of pellats of grass/piece of seed mud cakes of grass seeds between row of pits by ploughing and furrowing.			2000
8	Transportation of 4929 plants from nursery to planting site(15 KM)	4929	2.66	13111.14
9	Planting of 4481 seedlings including Refilling of pits(Application of Fertiliser & Pesticides)	4481	8.58	38446.98

10	Watering (if sufficient rains are not there) & application of insecticide in 4481 plants at the time of planting. For 3 KM	4481	9.29	41628.49
11	Making of crescent shaped mounds below planted sapling after planting and dibbing of 3 seeds of thorny tree species. (1000 plants / ha)	4481	9.11	40821.91
12	Weeding and hoeing of 4481 plants in 2 time. Repairing of plants mound	8962	5.15	46154.3
13	Weeding on contour trenches, ditch fencing and spacing / singling. 5276 Rmt ditches 700+ 1345	2045	4.44	9079.8
14	Watering of 4481 plants 3 timeing	13443	9.28	124751.04
15	Hoeing of 4481 plants 3 timeing	13443	2.78	37371.54
16	Raising of 449 seedlings in nursery for casualty replacement in year-2 (10% of 700)	449	5	2245
18	Labour aminties and hut repair.			2000
19	Construction of approach road / inspection path			1000
21	Micellaneous and unforeseen expenditure.		0	0
	TOTAL YEAR 1			434535.61
22	Administrative charges 10%			43453.561
				477989.171
FIRST YEAR MAINTENANCE (YEAR 2)				
1	Collection of datas regarding impact assesment and strengthening Joint Forest Management.			0
2	Maintenance of 449 Seedling in nursery for casualty replacement in year-2	449	2.11	947.39
3	Repair of fancing 200Rmt	144	169.12	24353.28
4	Redigging of pits in 10-30% boulder	499	7.63	3807.37
5	Planting of plants in hard soil	449	8.58	3852.42
6	Transportation of plants	449	2.66	1194.34
	Watering (if sufficient rains are not there) & application of insecticide in 4481 plants at the time of planting. For 3 KM	449	9.28	4166.72
5	Weeding and Hoeing in 4481 plants 4481x2	8962	5.15	46154.3
6	Watering of 4481X3 times	13443	9.28	124751.04
7	Hoeing of 4481X3 times	13443	2.78	37371.54
	TOTAL YEAR 2			246598.4
9	Administrative Charges 10%			24659.84
Total				271258.24
SECOND YEAR MAINTENANCE (YEAR 3)				
1	Fencing Repair	58	169.12	9808.96
2	Prunning of plants	4000	2.96	11840
3	Weeding and Hoeing 4000	4000	5.15	20600
4	Watering of 4000x2 times	8000	9.28	74240
5	Hoeing of 4000x2 times	8000	2.78	22240
6	TOTAL			138728.96
7	Administrative Charges 10%			13872.896
Total				152601.856
SUBSEQUENT MAINTENANCE (YEAR 4 TO 12)				
1	Collection of datas regarding impact assesment and strengthening Joint Forest Management.			0
	Fencing Repair	72	169.12	12176.64
	Prunning of plants 2-4 miter hight	4000	2.96	11840

3	Misc. and unforeseen expenditure including (repairing of fencing / structures pruning etc.			995
4	TOTAL YEAR 3.			25011.64
5	Administrative charges 10%			2501.164
Total				27512.804

0Year			350535
First Year			477989
Second Year			271258
Third Year			152602
Fourth Year			27513
Fifth Year			27513
Sixth year			27513
Seventh year			27513
Eighth year			27513
Ninth Year			27513
Tenth Year			27513
Eleventh Year			27513
Twelfth Year			27513
TOTAL			1500000

V. checked.
9/11/16

[Signature]
 Deputy Conservator of Forests
 Jhunjhunu

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/एफ.()2020-21/प्रमुवस/एफसीए/


583

दिनांक:-1.3.21

परिपत्र

प्रदेश में वन भूमि की न्यून उपलब्धता एवं प्रदेश के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण किया जाना अत्यावश्यक है ताकि न्यूनतम आवश्यक वनभूमि ही गैर वानिकी कार्य के उपयोग में लाई जा सके। वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त होने वाले अधिकांश प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम के होते हैं, तथा उनमें भी ज्यादातर प्रस्ताव एक हैक्टेयर या एक हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के होते हैं। अतः वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रदेश में वन भूमि का कम से कम क्षेत्र गैर वानिकी गतिविधियों के उपयोग के लिये सुनिश्चित करने हेतु निम्न दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन प्राप्त होने वाले वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में पार्ट-II में सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित किये जाने वाले स्थल का निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाकर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाती है, परन्तु 40 हैक्टेयर से कम के क्षेत्रफल हेतु मुख्य वन संरक्षक स्तर से स्थल निरीक्षण अनिवार्य नहीं होने के कारण सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकगणों द्वारा उक्त प्रस्तावों में कार्यस्थल के निरीक्षण के बारे में भाग-III में कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। परन्तु चूंकि वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त होने वाले अधिकांश प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम के होते हैं, तथा उनमें भी ज्यादातर प्रस्ताव एक हैक्टेयर या एक हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के होते हैं, यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि 40 हैक्टेयर से कम के प्रस्तावों में भी मुख्य वन संरक्षक स्तर द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर अपनी टिप्पणी व अभिप्राय भाग-III में की जावे। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्बन्धित उप वन संरक्षक के अतिरिक्त संबंधित मुख्य वन संरक्षक भी, स्वतंत्र रूप से, प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण कर, निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव के भाग-III में अपनी टिप्पणी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे।



FCA

28/6/21

9

2. यह भी देखा गया है कि अनेक प्रकरणों में स्थल विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा अतिरिक्त शर्त अथवा विशेष टिप्पणी भाग-II / भाग-III में उल्लेखित नहीं करते हैं जिससे उनका परीक्षण नहीं हो पाता और वे इस कार्यालय की अभिशंसा में सम्मिलित होने से रह जाते हैं। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्थल विशेष की परिस्थिति अनुसार यदि कोई विशेष टिप्पणी/शर्त प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसका उल्लेख प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के भाग-II / भाग-III में स्पष्टता से सम्मिलित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में सम्मिलित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु Forest Conservation Rules-2003 के विन्दु संख्या 2.8 (प्रति संलग्न) में उल्लेखित शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे, जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि (NFL)/ परिभ्राषित वन भूमि (DFL) में 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यस्थल की परिस्थिति के कारण NFL में 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर रोपण नहीं हो पाने की स्थिति में शेष पौधे किसी समीप के DFL में रोपित किये जावेंगे। इसी प्रकार चयनित DFL क्षेत्रफल में 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर नहीं लग पाने की स्थिति में शेष पौधों को अतिरिक्त DFL क्षेत्र चिन्हित कर लगाया जावेगा। उल्लेखनीय है कि DFL हेतु 0.4 घनत्व से कम वाले वन क्षेत्र का ही चयन किया जावे। उपरोक्तानुसार ही NFL/DFL की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना एवं प्राक्कलन प्रस्ताव के सम्मिलित कर भिजवाये जावेंगे।
4. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु NFL/DFL के प्राक्कलन तैयार करते समय कार्यस्थल की भौगोलिक स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे एवं प्राक्कलन कार्य स्थल विशेष (Site Specific) के अनुसार ही तैयार कर प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के साथ प्रेषित किये जावें एवं तदनुसार ही प्रयोक्ता अभिकरण से राशि की मांग की जावे।
5. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश की अनुपालना में चिन्हित डीम्ड फोरेस्ट श्रेणी की भूमियों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं एवं उस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होता है। अतः इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन क्षेत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार डीम्ड फोरेस्ट/ओरण/बणी वाले क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया गया है तथा सम्बन्धित उप वन संरक्षकगण/मुख्य वन

संरक्षकगण स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (Site Inspection Report) में इसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना प्रत्येक प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। उक्त के अभाव में इस कार्यालय द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीया



(श्रुति शर्मा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/एफ. ()2020-21/प्रमुवस/एफसीए/

दिनांक:-

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, वन, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण/मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव
6. समस्त उप वन संरक्षक प्रादेशिक/वन्यजीव अनुभाग।
7. सचिव पत्रावली।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन
एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

ensure long term conservation of such habitats;

- (d) Areas falling in catchment areas of important rivers, water supply schemes, irrigation projects, hydro-electric projects etc.
- (iv) To monitor the progress of creation of land bank for CA following committee, at each Regional Offices of the MoEF&CC will be constituted:
 - (a) The Head of Regional Office - Chairman
 - (b) Representatives of the National Tiger Conservation Authority (NTCA)-Member,
 - (c) Representatives of the FSI-member
 - (d) The Nodal Officers (FCA) of States/UTs under each Regional Offices of MoEF&CC-Members

The committee will review the progress in creation of land bank for CA in the States/UTs falling under jurisdiction of the Regional Offices and submit annual report or as and when required to the MoEF&CC.

2.8. Elements of Schemes for Compensatory Afforestation:

- (i) CA over Non-Forest Land (NFL): Number of plants to be planted over Non-Forest Land identified for CA, shall be at least 1000 plants per hectare.

If the requisite number of plants @ 1000/ha cannot be planted on the non-forest land identified for taking up CA, then the balance number of the plants will be planted in degraded forest land as per the provisions of working plans. The State Government will intimate to the MoEF&CC the names of the R.F./P.F. in which the balance seedlings will be planted. The User Agency will deposit the cost of planting (including maintenance for ten years).

- (ii) CA over Degraded Forest Land (DFL): CA scheme shall be prepared for minimum of 1000 saplings per hectare of identified CA land with ten-year maintenance. The plantation in the identified DFL shall be done as per the site requirement. The balance seedlings, if any, that could not be planted in the identified DFL, shall be planted in other DFL as per working plan prescriptions. The State Govt. will intimate names of the RFs/PFs in which the balance seedlings will be planted.

- (iii) Scheme for CA: The scheme for CA, to be submitted/uploaded at the time of applying for diversion of forest land for non-forest purpose, should be site specific, and include the following details: -

- a) Details of non-forest or degraded forest land, along with land kisam (NF land) forest type, crown density, etc. (degraded forest) identified for raising CA.
- b) Map showing the proposed NF area for CA and that of the nearby forest area.
- c) Geo-referenced digital maps of CA (Polygon map with DGPS coordinates).
- d) KML file of CA site in polygon shape to be uploaded online.
- e) Detailed work schedule including year wise operations including saplings to be planted along with soil & moisture conservation, regeneration cleaning, silvicultural and other activities as prescribed in the working plan, species to

~~18~~

be planted, including maintenance for 10 years and annual total costs in conformity with cost norms of the State/UT.

- f) Agency responsible for afforestation.
- g) Details of proposed monitoring mechanism, including infrastructural facility, if any required by the State/UT Govt.
- h) Technical and administrative approvals from the competent authority.
- i) The cumulative achievement of the State/UT Governments in respect of compensatory afforestation.
- j) Undertaking by the UA to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation, Additional CA and/or penal compensatory afforestation as well as cost for protection and regeneration of Safety Zone, etc. as per the scheme (undertaking to be enclosed).